प्रेस विज्ञप्ति
08/03/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने ठगी और धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 06.03.2024 को लक्ष्मी नारायण कौशिक को गिरफ्तार किया है। उन्हें दिनांकः 07.03.2024 को विशेष पीएमएलए कोर्ट, नागपुर के समक्ष पेश किया गया, जहाँ माननीय न्यायालय द्वारा उनकी 7 दिनों की ईडी हिरासत की मंजूरी दी गई।

ईडी ने भा.दं.सं.(आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत गुजरात के वापी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज दो प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2018 से 2020 के दौरान, लक्ष्मी नारायण कौशिक ने अपने साथी के साथ एक आपराधिक षड़यंत्र रचा और स्वयं के वित्तीय लाभ के लिए बढ़ी हुई कीमत पर निम्न गुणवत्ता की कपास खरीदकर मेसर्स वेलस्पन लिविंग लिमिटेड के साथ आपराधिक न्यास-भंग किया। वह गवाहों से जबरन वसूली करने और उन्हें धमकी देने में भी शामिल था।

ईडी की जांच से पता चला है कि लक्ष्मी नारायण कौशिक को उनके स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों में कुछ फर्जी संस्थाओं/शेल कंपनियों से अस्पष्टीकृत क्रेडिट प्राप्त हुए थे, जिन्हें उनके द्वारा लाभकारी रूप से नियंत्रित संस्थाओं के एक जटिल तंत्र का उपयोग करके आगे बढ़ाया (प्रोसेस) गया था। उन्होंने अपराध की आय (पीओसी) को बेदाग दिखाने के लिए इसकी (लेयरिंग) और एकीकरण के उद्देश्य से 02 कंपनियां बनाई थीं।

लक्ष्मी नारायण कौशिक को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, नागपुर के समक्ष पेश किया गया। माननीय अदालत ने आगे की पूछताछ के लिए लक्ष्मी नारायण कौशिक को दिनांकः 14/3/2024 तक ईडी हिरासत की मंजूरी दी है।

आगे की जाँच प्रकृयाधीन है।